

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक- 1050/11-सी- FP/UP/Road/39827/2019, लखनऊ, दिनांक: जून 27, 2019

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
बुन्देलखण्ड वृत्त,
झांसी।

विषय:- जनपद-झांसी में झांसी-बबीना-ललितपुर राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या-26 के किमी0 सं0-3 से 11 तक झांसी हंसारी से खैलार की सीमा तक दोनों पटरी पर चौड़ीकरण/चार लेन में प्रभावित 14.80 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 945 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू0पी0/06/86/2019/एफ0सी0/361, दिनांक 17.10.2019 एवं उ0प्र0 शासन का पत्रांक-151/81-2-2019-800(64)/2019, दिनांक 05.11.2019

महोदय,

भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण आपने अपने पत्रांक-1503/33-1, दिनांक 22.11.2019 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसमें परीक्षणोपरान्त विदित होता है कि आपके द्वारा भारत सरकार की आपत्ति सं0-C के निराकरण के क्रम में उल्लंघन के फलस्वरूप प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 में साधारण ब्याज की गणना भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.01.2019 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार कुल दण्डात्मक एन0पी0वी0 पर नहीं की गयी है।

अतः भारत सरकार की आपत्ति सं0-C के निराकरण के क्रम में उल्लंघन के फलस्वरूप प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना साधारण ब्याज सहित भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.01.2019 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार करते हुये, भारत सरकार की आपत्तियों का पूर्ण बिन्दुवार निराकरण संस्तुति सहित तत्काल प्रेषित करने का कष्ट करे।

भवदीय
27/11

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या-1050/11-सी-FP/UP/Road/39827/2019, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (भवन विंग), लो0नि0वि0, झांसी।

27/11

(पंकज मिश्र)

कार्यालय: वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक-1613 /33-1

दिनांक, नवम्बर, 29-2019।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विषयक प्रकरण में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा लगाई गई आपत्ति का निराकरण कर संशोधित अभिलेख/सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(ए0के0सिंह)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी